

समाहरणालय, बक्सर
(आपदा शाखा)

पत्रांक५५...../आ०,

प्रेषक,

राघवेन्द्र सिंह,
भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

नजारत उप समाहर्ता, बक्सर।
अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरौव।
अंचल अधिकारी, बक्सर, चौसा, चक्की, सिमरी एवं ब्रह्मपुर।

बक्सर, दिनांक 19 / 01 / 2019

विषय : CFMS द्वारा Demand No. 39-Disaster Management Department, Major Head-2245- Relief on account of Natural Calamities, Sub-Major Head-02- Flood, Cyclone etc., Minor Head- 112- EVACUATION OF POPULATION, Sub Head- 0002-NA, Head of Account- 39-2245-02-112-0002-NA के अन्तर्गत Object Head- 35-01 में व्यय हेतु कुल राशि 3,84,500 /- (तीन लाख चौरासी हजार पांच सौ) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1/Pra Aa-0-3-19/18-927 दिनांक 31.05.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के CFMS द्वारा Demand No. 39-Disaster Management Department, Major Head-2245- Relief on account of Natural Calamities, Sub-Major Head- 02- Flood, Cyclone etc., Minor Head- 112- EVACUATION OF POPULATION, Sub Head- 0002-NA, Head of Account- 39-2245-02-112-0002-NA के अन्तर्गत Object Head- 35-01 में व्यय हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-192/आ० दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पूर्व में 15,00,000 /- (पन्द्रह लाख) रूपया मात्र उपावंटित किया गया है एवं जिला में रखे गये सुरक्षित राशि 25,00,000 /- (पच्चीस लाख) रूपया में से निम्नवत राशि उपावंटित की जाती है :-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	पूर्व उपवांटित राशि विस्तृत शीर्ष 21-01	वर्तमान में उपवांटित राशि	योग	अभियुक्ति
1	अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर	2,50,000.00	00.00	2,50,000.00	
2	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरौव	2,50,000.00	00.00	2,50,000.00	
3	अंचल अधिकारी, बक्सर	2,00,000.00	00.00	2,00,000.00	
4	अंचल अधिकारी, चौसा	2,00,000.00	00.00	2,00,000.00	

5	अंचल अधिकारी, चक्की	2,00,000.00	00.00	2,00,000.00	
6	अंचल अधिकारी, सिमरी	2,00,000.00	00.00	2,00,000.00	
7	अंचल अधिकारी, ब्रह्मपुर	2,00,000.00	00.00	2,00,000.00	
8	नजारत उप समाहर्ता, बक्सर	00.00	3,84,500.00	3,84,500.00	
9	जिला मे सुरक्षित	00.00	21,15,500.00	21,15,500.00	
योग:-		15,00,000.00	25,00,000.00	40,00,000.00	

1. यह आवंटन बक्सर जिला में आपूर्ति किये गये महाजाल से संबंधित राशि के भुगतान हेतु किया जा रहा है।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. आवंटित की गयी राशि की निकासी अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजते हुए शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि0(2) दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन दिनांक- 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दे, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखी जाय।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 45 / आ0, दिनांक 19/01/2019

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव / जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर / आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर